

कार्यालय जिलाधिकारी बलरामपुर ।

पत्रांक:- 118 / ई-डिस्ट्रिक्ट / लोकवाणी शिका0 -

दिनांक:- 14 सितम्बर, 2016

समस्त,
लोकवाणी / जनसेवा केन्द्र संचालक,
जनपद बलरामपुर ।

कृपया प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, आई0टी0 एवं इलक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 11 / 2016 / 11-78-2-2016-34आई0टी0 / 2010 दिनांक 04 फरवरी 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रत्येक ग्राम में जनसेवा केन्द्र खोले जाने की निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उक्त पत्र में जनसेवा केन्द्र पर शासकीय सेवाओं हेतु दरें भी निर्धारित की गई हैं। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि लोकवाणी / जनसेवा केन्द्र संचालकों द्वारा शासकीय सेवाओं हेतु 50.00 से अधिक दर की वसूली की जा रही है। जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः सभी जनसेवा केन्द्र संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवाओं हेतु निर्धारित दरों से अधिक शुल्क की वसूली न की जाय। यदि किसी केन्द्र संचालक के विरुद्ध ऐसी शिकायत संज्ञान में आती है तो उनका लाइसेन्स / केन्द्र आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही उनके केन्द्र की आई0डी0 सदैव के लिये बन्द कर दी जायेगी एवं भविष्य में उन्हें कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी प्रकार की योजनाओं में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

राम विशाल मिश्र
जिलाधिकारी
बलरामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य विकास अधिकारी बलरामपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अपर जिलाधिकारी बलरामपुर ।
3. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता।
4. जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क विज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित करे।
5. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में केन्द्र संचालकों द्वारा अधिक फीस वसूले जाने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करे।

6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दे साथ कि पत्रों में जनपद कि वेबसाइट पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

राम विशाल मिश्र
जिलाधिकारी
बलरामपुर।